Regd. No. CHD/0093/2015-2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 7, 2015
(PHALGUNA 16, 1936 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 7th March, 2015

No. 2-HLA of 2015/12.— The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2015, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 2—HLA of 2015

THE HARYANA VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) BILL, 2015

A

BILL

further to amend the Haryana Value Added Tax Act, 2003.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Value Added Tax (Amendment) Act, 2015. Short title.

2. In section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (hereinafter called the principal Act),— Amendment of section 59 of Haryana Act 6 of 2003.

(i) in sub-section (1), for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-section (1), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that if the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, it may, for the reasons to be recorded in writing, dispense with the condition of previous notice.".

Amendment of section 60 of Haryana Act 6 of 2003.

3. In section 60 of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after the proviso, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided further that if the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action,it may, for the reasons to be recorded in writing, dispense with the condition of previous notice.".

Repeal and Savings.

4. (1) The Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Ordinance, 2014(Haryana Ordinance No. 8 of 2014) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per provisions contained in Section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (here-in-after referred to as the Act) an amendment in the Schedules appended to the Act can be made only after giving a clear ten days advance notice to the public by uploading the same on the official website of the department *i.e.* www.haryanatax.com. Similar provision exists in section 60 of the Act for amending the Haryana Value Added Tax Rules, 2003 (here-in-after referred to as the Rules). In case of any exigency the State Government is not able to amend the Schedules or the Rules. In order to enable the State Government to bring any amendment immediately in case the circumstances so require, the provisions contained in Section 59 and Section 60 of the Act are proposed to be amended suitably. The Cabinet in its meeting held on 25.11.2014 has approved the proposal of the department to insert the enabling provision in the Haryana Value Added Tax Act, 2003 for the provisions contained in Section 59 and Section 60 of the Act to enable the State Government to bring any amendment immediately. In order to give effect to this decision, as the State Legislature of Haryana was not in session, the Ordinance No.8 of 2014 was issued by the Governor of Haryana *vide* Notification No.Leg.39/2014 published on 26th November, 2014.

In order to give effect the above decision it will be necessary to regularize the Haryana Value Added Tax (Third Amendment) Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No.8 of 2014).

Hence this Bill.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Excise and Taxation Minister,
Haryana.

Chandigarh :
The 7th March, 2015.

RAJENDER KUMAR NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2015 dk fo/k;d l[;k 2 &एच० एल० ए०

हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015
हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2015, कहा जा सकता है।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 59 का संशोधन।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 59 में,–

(i) उप–धारा (1) में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ": " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) उप–धारा (1) के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यदि राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना इसके लिए आवश्यक हो गया है, तो यह कारण अभिलिखित करते हुए पूर्व नोटिस की शर्त से छूट दे सकती है।"।

2003 का हरियाणा अधिनियम 6 की धारा 60 का संशोधन।

3. मूल्य अधिनियम की धारा 60 में,–

(i) उप–धारा (1) में, परन्तुक में, अन्त में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ": " चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और कि राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना इसके लिए आवश्यक हो गया है, तो यह कारण अभिलिखित करते हुए पूर्व नोटिस की शर्त से छूट दे सकती है।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

4. (1) हरियाणा मूल्य वर्धित कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 8) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 59 अनुसार अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में स्पष्ट 10 दिन का अग्रिम नोटिस विभाग की वेबसाईट डब्ल्यू०डब्ल्यू० डब्ल्यू० हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर देने उपरान्त ही संशोधन किया जा सकता है। हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 60 में भी इसी प्रकार संशोधन करने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार किसी भी आपातकालीन स्थिति में अनुसूचियों अथवा नियमों में संशोधन करने में सक्षम नहीं है। राज्य सरकार को किसी तुरन्त संशोधन को लाने के लिए, जैसा कि परिस्थितियों अनुसार आवश्यक हो, को सक्षम करने के लिए अधिनियम से जुड़ी धारा 59 तथा 60 में उपयुक्त संशोधन करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार को तुरन्त संशोधन करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 से जुड़ी धारा 59 तथा 60 में निहित प्रावधानों के साथ सक्रिय प्रावधान सम्मिलित करने के लिए दिनांक 25.11.2014 को हुई मन्त्रिमण्डल की बैठक में विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी हुई है। इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्योंकि हरियाणा राज्य विधान मण्डल का सत्र नहीं चल रहा था, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अधिसूचना संख्या लैज 39/2014, 2014 का अध्यादेश संख्या 8, दिनांक 26 नवम्बर, 2014 को प्रकाशित किया था।

उपरोक्त निर्णय के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए हरियाणा मूल्य वर्धित कर (तीसरा संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 8) को नियमित कराना आवश्यक होगा।

अतः यह विधेयक।

कैप्टन अभिमन्यु ,
आबकारी व कराधान मन्त्री,
हरियाणा ।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 7 मार्च, 2015.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।

53138—H.V.S.—H.G.P., Chd.